एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में दिनांक 6 नवंबर, 2019 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 29वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण(एफ.एस.एस.ए.आई) की अट्ठाईसवीं बैठक एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में दिनांक 6 नवंबर, 2019 के पूर्वाह्न 11:15 बजे सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भागीदारों की सूची **अनुबंध–1** पर संलग्न है।

कार्यकारी निदेशक(मानव संसाधन), एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण के सदस्यों और उद्योग के सभी विशेष आमंत्रितों का स्वागत किया तथा श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई को बैठक का संचालन करने का अनुरोध किया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों का बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया और एफ.एस.एस.ए.आई के नव–नियुक्त कर्मचारियों का परिचय कराया। उन्होंने अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई को स्वागत वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया।

मई, 2019 में आयोजित प्राधिकरण की पिछली बैठक के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष ने की गई कार्रवाई और उसके बाद हुए विभिन्न प्रकार के विकासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लाइसेंसिंग, परीक्षण और निरीक्षण के संबंध में खाद्य कारोबारियों से संवाद की महत्ता पर बल दिया, जिससे विनियमन को सही करने तथा क्षमता–निर्माण गतिविधियों को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी।

मद सं0 I :

दिनांक 21.05.2019 को आयोजित 28वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्यों को परिचालित 28वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कार्यवृत्त की पुष्टि कर उसका अंगीकरण किया गया।

प्राधिकरण ने बच्चों के लिए फार्मूले वाले पूरकों के मसौदा मानकों को भूलवश प्रस्तावित अंतिम अंधिसूचना के अंतर्गत रखा जाना नोट किया, जो वास्तव में मसौदा अधिसूचना थी।

मद सं0 II : 28वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

निम्नलिखित चर्चा के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की गई :

1) अध्यक्ष ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में लंबित अधिसूचनाओं पर प्रकाश डाला और ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय को एफ.एस.एस.ए.आई के साथ नियमित रूप से बैठकें करने का सुझाव दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी सुझाव दिया कि बड़ी अधिसूचनाओं को मानकों से अलग करके प्रकाशन के शेष भाग पर आगे की कार्रवाई की जाए।

2) पैकेजबंद पेय जल संबंधी मद सं0 28.1क(vi) के संदर्भ में विशेष आमंत्रिती ने विभिन्न उत्पादों में संघटक के रूप में प्रयुक्त पैकेजबंद पेय जल में कैल्शियम और मैग्नेशियम की प्रस्तावित अपेक्षाओं संबंधी उनके मुद्दे की स्थिति के बारे में जानना चाहा। प्राधिकरण को सूचित किया गया कि उसका संबंधित पैनल द्वारा समाधान कर दिया गया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे, उसके तुरंत कार्यान्वयन के संबंध में उन्होंने 6 महीनों के संक्रामण काल का अनुरोध किया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

मद सं0 III : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

प्राधिकरण ने बैठक के दौरान प्रस्तुत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट **(अनुबंध–2)** नोट की।

अनुमोदन के लिए कार्यसूची

29.1 खाद्य मानक/विनियम

क. अंतिम अधिसूचना के लिए नए विनियम

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण खाद्य) विनियम, 2019 संबंधी मसौदा अधिसूचना दिनांक 01.05.2019

विशेष आमंत्रितियों के पोषक तत्वों की कम रेंज, घोषित पोषक तत्वों की सह्यता सीमा इत्यादि के बारे में कतिपय अवलोकन थे, जिन्हें मसौदा अधिसूचना चरण पर भी प्रस्तुत किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि पैनल ने सभी सम्मतियों पर विचार कर लिया है और उन पर भारतीय परिदृश्य में पर्याप्त विचार–विमर्श के बाद प्रस्तावित मसौदे की संसतुति की है। तथापि, उन्हें अपनी सम्मतियाँ यथाशीघ्र देने को कहा गया। सचिवालय को उनकी सम्मतियों पर पैनल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में विचार करने का निर्देश दिया गया और यदि आवश्यक हो तो उन्हें वैज्ञानिक पैनल के समक्ष रखने की अनुमति दी जाए।

प्राधिकरण ने अपनी तरफ से अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया।

ख. अंतिम अधिसूचनाओं के लिए प्रस्तावित संशोधन

(I) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम;

(क) 'विनियम 2.1 : डेयरी उत्पाद और सदृश उत्पाद' में संशोधन

1) अल्प लैक्टोज/लैक्टोज मुक्त दूध और डेयरी परमिएट पाउडर तथा मोजेरेला चीज की परिभाषा को शामिल करने संबंधी नए मानकों से संबंधित मसौदा अधिसूचना दिनांक 01.05.2019

प्राधिकरण ने दूध और दुग्ध उत्पाद विनियम के तहत 'लैक्टोज मुक्त दूध' उत्पादों में लैक्टोज अंश की सीमाओं को 0.05% से 0.1% पुनरीक्षित किया, क्योंकि ये उत्पाद शिशुओं के लिए आशयित नहीं हैं। आगे, विशेष आमंत्रितियों ने इन उत्पादों को बहु–परतीय पैकों के अलावा थैलियों तथा अन्य रूपों में पैक करने के बारे में तकनीकी दिक्कतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पैकेजिंग फोरमेट में आने वाली दिक्कतों पर साथ–साथ एसआरजी द्वारा भी विचार किया जाए।

इस पुनरीक्षण के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(ख) 'अध्याय 3 : खाद्य में योजित पदार्थ' में संशोधन

1) प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों के संबंध में परिशिष्ट 'ग' जोड़ने संबंधी मसौदा अधिसूचना दिनांक 04.02.2019

1) विशेष आमंत्रिती ने कहा कि प्रस्तावित अंतिम अधिसूचना के अतिरिक्त प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों की अन्य सूची भी है जो मसौदा अधिसूचना के अंतर्गत है और इसलिए उन्हें एक विनियम के तहत समेकित करने का अनुरोध किया। इस मामले में यह सुझाव दिया गया कि दोनों अधिसूचनाओं पर अलग–अलग विधिवत् रूप से कार्रवाई जारी रहे और दोनों के प्रवर्तन की तिथि को सुमेलित किया जा सकता है।

2) उप–विनियम 3.4.1 के खंड 13 से ''प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों वाले खाद्य उत्पादों के लेबल पर निम्नलिखित घोषणा की जाए : 'अनुमत प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों युक्त''' स्टेटमेंट हटाने की संस्तुति की गई। सारणी 11 के कॉलम 2 के लिए यह पाद–टिप्पणी देने का निर्णय भी लिया गया : एन्जाइम (कच्ची सामग्रियों, खाद्य पदार्थों अथवा संघटकों के उपचार अथवा प्रसंस्करण हेतु), क्योंकि ''सभी एन्जाइम गैर–जीएम स्रोत से हैं।

3) सारणी 12 के क्रम संख्या 41 के लिए सोडियम एसिड पायरोफॉस्फेट (एसएपीपी) के उपयोग के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि तकनीकी औचित्य के साथ एक अलग टिप्पणी विचार हेतु एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाए।

इन संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया। प्राधिकरण ने इन मुद्दों पर प्राधिकरण की तरफ से निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया।

2) खमीर और सदृश उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य श्रेणियों में उपयोग के लिए सोर्बिटान मोनोस्टीएरेट को शामिल करने संबंधी मसौदा अधिसूचना दिनांक 15.04.2019

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

3) ''विनियम 3.1 : खाद्य उत्पादों में उपयोग के लिए अन्य पदार्थ और परिशिष्ट 'क''' में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना दिनांक 15.04.2019

1) विशेष आमंत्रिती ने सुझाव दिया कि कार्यसूची के पृष्ठ 69 पर खाद्य श्रेणी 1.6.4.1 के लिए दिया गया नोट खाद्य श्रेणी '1.6.5 : पनीर सदृश उत्पाद' के लिए भी दिया जाए। इस बारे में बताया गया कि इस मामले पर संबंधित पैनल द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है।

2) विशेष आमंत्रिती ने खाद्य सहयोज्य पदार्थ माइक्रोकिस्टेलीन वैक्स की संस्तुत अधिकतम सीमा 20,000 मिग्रा/किग्रा से परिवर्तित करके ईएफएसए के अनुसार जीएमपी करने का अनुरोध किया, जिस पर सहमति व्यक्त नहीं की गई क्योंकि विहित सीमा कोडेक्स के अनुसार है।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(II) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम

1) पौष्टिकीकृत प्रसंस्कृत खाद्य, प्रजाति विशिष्ट का पौष्टिकीकृत दूध और पौष्टिकीकृत बहु–धान्य आटा

1) विशेष आमंत्रितियों ने प्रस्तावित मसौदे में विज्ञापन और दावे विनियम में विहित दावों में असमानता तथा पौष्टिकीकारकों की सीमा का मुद्दा उठाया। उदाहरण के लिए प्रति 100 ग्राम ठोस पदार्थों में आरडीए के 15% तक पोषक तत्व (विटामिन और खनिज) डाले जाते हैं तो ''स्रोत'' का दावा तथा +F लोगो अनुमत हैं। परंतु जब प्रति 100 ग्राम ठोस पदार्थों में आरडीए के 30% तक पोषक तत्व डाले जाते हैं तो ''उच्च'' दावा अनुमत है, परंतु +F लोगो के प्रयोग की अनुमति नही है, क्योंकि 30%

आरडीए पौष्टिकीकरण की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है। यह स्पष्ट किया गया कि दोनों विनियमों का मंतव्य भिन्न है और इस प्रकार उनका पूर्ण समंजन संभव नहीं है। अध्यक्ष ने सचिवालय को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया।

2) इसके अतिरिक्त प्राधिकरण अंतिम अधिसूचना से निम्नलिखित सामग्री हटाने पर सहमत हुईः

क) कार्यसूची के पृष्ठ 73 पर उप–विनियम (4) के खंड 7 से ''और मूल लेबलिंग विनियम के परिवर्तनों के अनुसार समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाएँगे'' शब्द।

ख) कार्यसूची के पृष्ठ 75 और 76 पर दिए गए नोट 1, 2, 3 और उनसे संबंधित सारणी, क्योंकि एचएफएसएस की सीमा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

इन संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(III) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम

1) खाद्य वनस्पति तेलों के बारे में मसौदा अधिसूचना दिनांक 08.03.2019

विशेष आमंत्रितियों ने सुझाव दिया कि यथाप्रस्तावित कार्यात्मक दावों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अनुसूची–1 में पहले ही शामिल हैं तथा बीमारी के जोखिम में कमी संबंधी दावे विज्ञापन और दावे विनियम की अनुसूची–1 के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया गया कि दावों की सुझाई गई सूची केवल तेलों के लिए है। आगे, इस संशोधन विनियम में सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल शामिल करने पर सहमति हुई, जिसके अंतर्गत सम्मिश्र में मुख्य तेल तक प्रतिबंधित दावों की अनुमति दी जा सकती है।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ग. मसौदा अधिसूचनाओं के लिए प्रस्तावित संशोधन

(I) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम

क) 'विनियम 2.1 : डेयरी उत्पाद और सदृश उत्पाद' में संशोधन

1) डेयरी सदृश उत्पादों के नए मानक

2) घी के मानकों का पुनरीक्षण

उपर्युक्त मद 2 के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने कहा कि घी खरीदते समय आरएम मान का प्रयोग मुख्य कारक के रूप में किया जाता है। यह हर राज्य में अलग होता है और पूरे देश के लिए एक ही मान स्थानीय खरीद के लिए उचित नहीं हो सकता तथा इससे दूध के रिजेक्ट किए जाने अथवा पतला करने की नौबत आ सकती है। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि हालांकि मानक–निर्धारण के समय उपलब्ध डैटा पर विचार किया गया था, फिर भी उद्योग के प्रतिनिधि डैटा अथवा अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, मसौदा अधिसूचना चरण पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ख) 'विनियम 2.2 : वसा, तेल और वसा पायस' में संशोधन

1) कच्चे वनस्पति तेल की परिभाषा

2) नारियल के तेल के मानकों में अपवर्तनांक मान का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ग) 'विनियम 2.3 : फल और सब्जी उत्पाद' में संशोधन

1) ऊष्मा–प्रसंस्कृत सब्जियों के मौजूदा मानकों के तहत सॉसेज में पैकबंद बीन्ज/बेक्ड बीन्ज को शामिल करना

2) जैम, जेली और मार्मलेड के मौजूदा मानकों के तहत अल्प–शर्करा जैम को शामिल करना

3) निर्जल सब्जियों के मौजूदा मानकों का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

घ) 'विनियम 2.4 : फल और सब्जी उत्पाद' में संशोधन

1) प्रोटीन–प्रचुर (पौष्टिक) आटे के मानक का पुनरीक्षण

2) प्रोटीन–प्रचुर (पौष्टिक) मैदा के मानक का पुनरीक्षण

3) बहु–धान्य आटा और मिलेट का मिश्र आटा

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ङ) 'विनियम 2.6 : मछली और मत्स्य उत्पाद' में संशोधन

1) शार्क फिन्ज विनियम का विलोपन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

च) 'विनियम 2.9 : लवण, मसाले, कंडिमेंट और सम्बद्ध उत्पाद' में संशोधन

1) मीठे तुलसी के सूखे पत्ते

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

छ) **'विनियम 2.10 : बीवरेज (डेयरी और फल व सब्जी–आधारित को छोड़कर)' में संशोधन**

1) उप–विनियम 2.10.6 के खंड (1) के उप–खंड (1) के संबंध में मसौदा संशोधन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ज) **नया विनियम 2.16 जोड़ना**

1) पटसन के बीज

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

झ) **'अध्याय 3 : खाद्य में योजित पदार्थ' में संशोधन**

1) खाद्य श्रेणी 8.1 ''ताजा मांस और कुक्कुट'' तथा 8.2.3 ''साबुत अथवा कटे प्रशीतित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद'' के अंतर्गत सुवासित/नमकीन मांस की उप–श्रेणी शामिल करना

2) ''अल्प अम्ल'' शब्दों के संदर्भ में डिब्बाबंद अथवा बोतलबंद (पाश्च्युरीकृत) अथवा रिटोर्ट पाउच सब्जियों की खाद्य श्रेणी 4.2.2.4 में संशोधन

3) इन्सटैंट टी

उपर्युक्त मद 3 के संबंध में विशेष आमंत्रितयों ने कहा कि कोडेक्स के अनुसार आइस्ड टी जल–आधारित बीवरेजों के अंतर्गत आएगी, जिनमें टाट्राजिन अनुमत होता है। प्राधिकरण ने सुझाव दिया कि सम्मतियाँ मसौदा अधिसूचना चरण पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ञ) **'अध्याय 3 : परिशिष्ट–ख' के संबंध में संशोधन**

1) खाद्यान्नों और अन्य उत्पादों के सूक्ष्मजैविक मानक

कार्यसूची के पृष्ठ 107–108 पर दिए गए शीर्षक से 'और उनके' शब्द निम्न रूप में विलोपित कर दिए जाएँ : 'खाद्यान्न ~~और उनके~~ उत्पादों के सूक्ष्मजैविक मानक'।

इस संशोधन के साथ प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(II) **खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम**

1) **पेस्टीसाइडों की एमआरएल–निर्धारण**

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(III) **खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलीय बीवरेज) विनियम**

1) **कतिपय खंडों में संशोधन**

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(IV) **खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम**

1) **मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) द्वितीय संशोधन विनियम, 2019**

2) **सुपारी, वाले उत्पादों, अरिकेलिन अथवा इसके उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक**

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(V) **खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम**

1) **पेय जल की पैकेजबंदी हेतु उपबंधों संबंधी खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2019**

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VI) **खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम**

1) **वनस्पति में भौतिक रूप से परिशोधित चावल के भूसे के तेल के उपयोग संबंधी उपबंध जोड़ना**

2) **सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेलों की लेबलिंग का पुनरीक्षण**

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

घ. **अन्य मुद्दे**

1) **लाइसेंस जारी करने के लिए "पान मसाला और संबंधित उत्पादों का श्रेणीकरण"**

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

2) **मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियम, 2019 में प्रस्तावित सीमा संबंधी मानों का पुनरीक्षण**

प्राधिकरण ने सम्मुख भाग पर लेबलिंग के अंश पर अलग से कार्य करने के प्रस्ताव तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियम की शेष अंतिम अधिसूचना पर आगे की कार्रवाई करने का समर्थन किया।

3) **दिनांक 31.07.2018 को अधिसूचित शहद के मानकों के 'पराग गणना' मानदंड का पुनरीक्षण और 'राइस सिरप का ट्रेस मार्कर (टीएमआर)', 'राइस सिरप स्पेसिफिक मार्कर (एसएमआर)' और 'बाहरी ओलिगोसैक्कराइड' मानदंडों को हटाना**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

4) **संश्लेषित सिरप और शरबत के पुनरीक्षित मानक–निर्धारक मसौदा अधिसूचना दिनांक 12.03.2019**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर मसौदा अधिसूचना दिनांक 12.03.2019 की वापसी की अभिपुष्टि की।

5) **शहद के विभिन्न मानदंडों की विश्लेषण पद्धतियाँ**

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

6) **रोयल जेली, मधु मोम, कोको और शर्करा के शुष्क मिश्रणों की विश्लेषण पद्धतियाँ**

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

ङ. एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी किए गए मानकों/विनियमों और निर्देशों का कियान्वयन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की। आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने धारा 16(5) और 18(2)(घ) के अंतर्गत जारी किए गए सभी निर्देशों के मौजूदा विनियमों से सुमेलन अथवा नए विनियमों/मानकों के निर्धारण के लिए पुनरीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी निर्देशों की पूरी स्थिति खाद्य प्राधिकरण की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।

च. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के साथ पठित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना – अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

29.2 खाद्य परीक्षण और सर्वेक्षण

1. **निम्नलिखित का अनुमोदन –**

क) द्रुत विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण (आरएएफटी) किट/उपस्कर/पद्धति

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

2. निम्नलिखित की अभिपुष्टि –

क) एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा खाद्य प्रयोगशालाओं की अधिसूचना – धारा 43(1) के अंतर्गत आने वाली खाद्य प्रयोगशालाओं की सूची

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

29.3 खाद्य सुरक्षा अनुपालन

क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में संशोधन – प्रगति और आगे की कार्रवाई – अनुमोदन के लिए

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया और इस संबंध में प्राधिकरण की तरफ से अंतिम निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

ख) मानकीकृत खाद्य उत्पादों की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रीकरण – विचारार्थ और अनुमोदनार्थ

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया। एफएलआरएस से फॉस्कोस में अंतरण के लिए परिवर्तन को क्रियान्वित करने और हितधारकों से परामर्श लेने का सुझाव भी दिया गया।

ग) **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2019 के कतिपय खंडों का क्रियान्वयन – विचारार्थ और अनुमोदनार्थ**

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अध्यक्ष को प्रत्येक उपबंध के क्रियान्वयन के समय और तरीके के बारे में निर्णय लेने तथा आवश्यकतानुसार अन्य संशोधन करने के लिए प्राधिकृत किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्वच्छता रेटिंग और तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट के मध्य स्पष्ट अंतर दर्शाने के लिए स्वच्छता रेटिंग के बारे में उप–खंड डालने का सुझाव दिया। निरीक्षण और ऑडिट के बारे में 2.1.19(3) उपबंध ''खाद्य प्राधिकरण की योजना/आदेशों के अनुसार'' हो।

घ) **ऑनलाइन फीस अदायगी प्रणाली न रखने वाले राज्यों के लाइसेंसों और पंजीकरणों की केंद्रीकृत फीस के ई–संग्रहण और अंतरण की पद्धति – विचारर्थ और अनुमोदनार्थ।**

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

ङ) एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा खाद्य सुरक्षा मित्र योजना की शुरुआत – अनुमोदन के लिए

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

च) केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक के कार्यवृत्त का अंगीकरण

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

29.4 शासन और प्रशासन

क) वर्ष 2018–19 की एफ.एस.एस.ए.आई की वार्षिक रिपोर्ट – अनुमोदनार्थ

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर वर्ष 2018–19 की एफ.एस.एस.ए.आई की वार्षिक रिपोर्ट का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ख) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4(4) के अंतर्गत एफ.एस.एस.ए.आई के नए कार्यालय/प्रयोगशाला खोलना

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्यकारिता प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) आरंभ करना – विचारार्थ

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार किया। मुख्य कार्यकारी ने प्राधिकरण को आगे सूचित किया कि प्रस्तावित मार्गदर्शी सिद्धांतों को सम्मति के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के कर्मचारियों को भी परिचालित किया जाएगा।

घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से लेखानुदान और आंतरिक प्राप्तियों के अलावा एफ.एस.एस.ए.आई के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखे, बजट, वित्तीय गतिविधियाँ

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद

पूरक कार्यसूची – मद सं0 29. IV(1)

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन द्वारा अंगीकृत रीति संहिताओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों को भारतीय विनियमों में अंगीकृत करना

प्राधिकरण ने रीति संहिताओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंगीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और रीति संहिताएँ बनने के बाद उन्हें खाद्य प्राधिकरण की तरफ से अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया। आगे, एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण के बाद भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर उपयुक्त संशोधनों के साथ सीओपी तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया जाए। इस प्रसंग में

विषय से सम्बद्ध अन्य मंत्रालयों/इस क्षेत्र में काम्र कर रहे विभागों को कार्यकारी दल में सहयोजित किया जा सकता है।

पूरक कार्यसूची – मद सं0 29. IV(2)

निजी क्षेत्र के साथ काम करने के लिए मसौदा दिशा–निर्देश

प्रस्तावित दिशा–निर्देशों पर सदस्यों/विशेष आमंत्रितियों को सात दिनों के अंदर सम्मतियाँ देने को कहा गया। सम्मतियों, यदि कोई हुई, पर विचार करने के बाद दिशा–निर्देशों को अध्यक्ष के अनुमोदन से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाए।

पूरक कार्यसूची – मद सं0 29. IV(3)

'सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल' का पुनर्नामन तथा सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल में सरसों के तेल के उपयोग को प्रतिबंधित करना

प्राधिकरण ने 'सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल' का नाम 'बहु–स्रोती खाद्य वनस्पति तेल' रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

आगे, सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल में सरसों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्राधिकरण का विचार था कि इससे देश में सरसों के तेल को बढ़ावा देने का प्रयोजन हल नहीं होगा। तथापि सरसों के तेल में चावल के भूसे के तेल की मिलावट को रोकने के लिए प्रयोगशाला को ओरिजिनॉल मार्कर की अनुपस्थिति का परीक्षण करना चाहिए।

पूरक कार्यसूची – मद सं0 29. IV(4)

हितधारों से सम्मतियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए उन्हें 60 दिनों का समय देने की नीति बनाने के संबंध में

प्राधिकरण ने मसौदा विनियमों पर सम्मतियाँ देने के लिए देश के हितधारकों के साथ–साथ डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को 60 दिनों का समय देने की नीति का अनुमोदन किया। तथापि किसी जनहित की स्थिति में इस समय को देश के हितधारकों के लिए 30 दिनों तक सीमित किया जा सकता है।

पूरक कार्यसूची – मद सं0 29. IV(5)

ईट राइट इंडिया अभियान से जुड़ी गतिविधियों के लिए विश्व बैंक से वित्त–पोषण

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

पूरक कार्यसूची – मद सं0 29. IV(6)

'राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रणाली के सशक्तीकरण'' के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के लिए ज्ञापन के साथ प्रस्ताव

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन किया।

बैठक सभी भागीदारों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

हस्ता/–	हस्ता/–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

अनुबंध–1

उपस्थित सदस्यों की सूची

क. प्राधिकरण के सदस्य

1. सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई
2. श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य सचिव
3. श्री आशीष गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
4. श्री के. बी. सुब्रमण्यन्, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5. श्री वी. तिरुकुमारन्, सहायक औद्योगिक सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
6. सुश्री एल. रेंतलेई, उप निदेशक, उपभोक्ता मामले मंत्रालय,
7. डॉ. बृजेश त्रिपाठी, सहायक निदेशक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
8. डॉ. सरिता भल्ला, परामर्शदाता (फॉर्मा), सी.आई.बी एंड आर.सी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

ख. विशेष आमंत्रिती

1. सुश्री पर्णा दासगुप्ता, फिक्की
2. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
3. सुश्री श्रेया पांडेय, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोशिएशन (ए.आई.एफ.पी.ए)

ग. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. श्री अनिल कुमार, सलाहकार (मानक)
2. डॉ. एन. भास्कर, सलाहकार (क्यूए)
3. श्री सुनील बक्शी, प्रमुख (विनियम/कोडेक्स)
4. श्री राजीव जैन, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)
5. डॉ. शोभित जैन, कार्यकारी निदेशक (आरएस)
6. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (मानक)
7. डॉ. अमित शर्मा, निदेशक(आयात)
8. सुश्री इनोशी शर्मा, निदेशक(एसबीसीडी)
9. डॉ. शालिनी सहगल, निदेशक(गुणता आश्वासन)
10. श्री राज सिंह, प्रमुख(सामान्य प्रशासन)
11. श्री ए. के. चाणना, प्रमुख(आईटी)

12. श्री आर.के. मित्तल, प्रमुख(आरसीडी)
13. डॉ. ए.के शर्मा, परामर्शदाता
14. डॉ. एस.सी. खुराना, परामर्शदाता
15. श्री प्रवीण जारगर, संयुक्त निदेशक(विनियमात्मक अनुपालन)
16. डॉ. ए.सी मिश्रा, संयुक्त निदेशक(मानक)
17. सुश्री वर्षा गुप्ता, वैज्ञानिक IV(3)(मानक)
18. श्री पी कार्तिकेयन, उप निदेशक(कोडेक्स/विनियम)
19. सुश्री कीर्ति चुघ, सहायक निदेशक (मानक)
20. सुश्री रत्ना श्रीवास्तव, वैज्ञानिक IV(1)(मानक)
21. डॉ. शेल्वी अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी(मानक)

——

अनुबंध–2

खाद्य प्राधिकरण की 29वीं बैठक (06.11.2019)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट

1. खाद्य मानक/विनियम

दिनांक 21 मई, 2019 को आयोजित प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद आयोजित वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें और मानक निर्धारण का कार्य

अवधि के दौरान वैज्ञानिक पैनलों की कई बैठकें हुईं, जिनमें मसौदा मानक निर्धारण तथा खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर सार्थक योगदान दिया गया। उन द्वारा की गई सिफारिशों पर एफ.एस.एस.ए.आई की वैज्ञानिक समिति में चर्चा की गई, जिसमें सभी वैज्ञानिक पैनलों के साथ–साथ ख्यात वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व है और उसे कार्यसूची में खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए शामिल किया गया है।

1.1 वैज्ञानिक समिति की बैठक(1) : वैज्ञानिक समिति की तैंतीसवीं बैठक दिनांक 19.08.2019 को हुई।

1.2 वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें(22): अवधि के दौरान मछली और मत्स्य उत्पाद, पोषण और पौष्टिकीकरण, तथा प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति पैनलों को छोड़कर निम्नलिखित पैनलों की बैठकें हुईं:

i) **प्रतिजैविक अवशिष्ट वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 33वीं बैठक दिनांक 31.07.2019 को हुई।

ii) **जैविक खतरे वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 28वीं बैठक दिनांक 23.08.2019 को हुई।

iii) **धान्य, दालें और फलियाँ और उनके उत्पाद(बेकरी सहित) वैज्ञानिक पैनलः** पैनल की 21वीं और 22वीं बैठकें क्रमशः दिनांक 17.06.2019 और 20.09.2019 को हुईं।

iv) **खाद्य शृंखला संदूषक वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 22वीं बैठक दिनांक 12.07.2019 को हुई।

v) **खाद्य सहयोज्य, सुवासकारी पदार्थ, प्रसंस्करण सहायक सामग्री और खाद्य संपर्क सामग्री वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 41वीं और 42वीं बैठकें क्रमशः दिनांक 21.06.2019 तथा 13.09.2019 को हुईं।

vi) **फल और सब्जी और उनके उत्पाद (सूखे फलों और गिरियों सहित) वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 17वीं बैठक दिनांक 01.07.2019 को हुई।

vii) **प्रयोजनमूलक खाद्य, न्युट्रास्युटिकल्स, आहारिक उत्पाद और अन्य सदृश उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 43वीं बैठक दिनांक 01–02.07.2019 को हुई।

viii) **जीन–परिवर्तित जीवाणु और खाद्य वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 18वीं बैठक दिनांक 12.09.2019 को हुई।

ix) **लेबलिंग और दावे/विज्ञापन वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 29वीं और 30वीं बैठकें क्रमशः दिनांक 11–12.06.2019 तथा 20–21.09.2019 को हुईं।

x) **दूध और दुग्ध उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 12वीं बैठक दिनांक 08.08.2019 को हुई।

xi) **कुक्कुट सहित मांस और मांस उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 12वीं बैठक दिनांक 27.09.2019 को हुई।

xii) **तेल और वसा वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 16वीं और 17वीं बैठकें क्रमशः दिनांक 19.06.2019 और 19.09.2019 को हुईं।

xiii) **पेस्टीसाइड अवशिष्ट वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 58वीं बैठक दिनांक 20.08.2019 को हुई। 59वीं बैठक दिनांक 29.10.2019 को होनी है।

xiv) **जल(सुवासित जल सहित) और बीवरेज(एल्कोहलीय, गैर–एल्कोहलीय) वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 16वीं औ 17वीं बैठकें क्रमशः दिनांक 02.07.2019 और 16.10.2019 को हुईं।

xv) **मसाले और पाक् जड़ी–बूटियाँ वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 5वीं बैठक दिनांक 26.08.2019 को हुई।

xvi) **मिठाई, मिष्टान्न, मीठाकारक, शर्करा और शहद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 13वीं बैठक दिनांक 05.07.2019 को हुई।

1.3 खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 तथा एक नए विनियम अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य का संग्रहण और वितरण) विनियम, 2019 में संशोधनों से संबंधित 6 अंतिम अधिसूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

1.4 खाद्य वस्तुओं संबंधी 12 अंतिम संशोधन अधिसूचनाओं को अंतिम रूप दिया गया। वे केंद्र सरकार द्वारा विधीक्षा और अनुमोदन के अधीन हैं।

1.5 आगे, हितधारकों की सम्मतियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए 1 नया मूल विनियम अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और

स्वास्थ्यकर आहार) विनियम, 2019 तथा 4 संशोधन मसौदा अधिसूचनाएँ भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं।

2. खाद्य परीक्षण और सर्वेक्षण

2.1 **राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला**(एनएफल), गाजियाबाद

डॉ. हर्ष वर्धन, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्री तथा श्री अश्विनी कुमार चौबे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने दिनांक 23.08.2019 को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, दिल्ली–एनसीआर का उद्घाटन किया तथा इंदिरापुरम्, गाजियाबाद में एफ.एस.एस.ए.आई टावर का शिलान्यास भी किया।

2.2 **राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला**(एनएफल), कोलकाता

एनएफएल, कोलकाता में उन्नत सूक्ष्मजैविक परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है। इस सुविधा का दिनांक 2 अगस्त, 2019 को उद्घाटन किया गया और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है।

2.3 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण प्रशिक्षण केंद्र(आईटीसी–एफएसएएन) का उद्घाटन

एफ.एस.एस.ए.आई ने आयात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी) तथा जीएफएसपी के सहयोग से निर्यात निरीक्षण एजेंसी के प्रायोगिक परीक्षण गृह, मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विश्लेषण और अनुप्रयुक्त पोषण प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी–एफएसएएन) स्थापित किया है। इस केंद्र का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा दिनांक 22.02.2019 को किया गया था। यह केंद्र हमारे देश के साथ पड़ौस के देशों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्षमता–निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का केंद्र बन जाएगा।

2.4 मेटास्टडी का विमोचन

दिनांक 23.08.2019 को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला के उद्घाटन के दौरान डॉ. हर्ष वर्धन, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ''भारत में खाद्य प्रयोगशालाएँ : एक मेटास्टडी'' नामक रिपोर्ट का भी विमोचन किया।

2.5 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाएँ

खाद्य प्राधिकरण को इसकी 28वीं बैठक में सूचित किया गया था कि अनंतिम रूप से अनुमोदित सभी 15 एनआरएल/एएनआरएल के साथ एक समझौता किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद(अनंतिम एनआरएल) को छोड़कर अनंतिम रूप से अनुमोदित सभी एनआरएल/एएनआरएल ने हस्ताक्षरित समझौता प्रस्तुत कर दिया है। तदनुसार आदेश संख्या 12013/02/2017–क्यूए(खंड ए), दिनांक 23.08.2019 द्वारा 14 अधिसूचित प्रयोगशालाओं को एनआरएल/

एएनआरएल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। इन 14 एनआरएल/एएनआरएल की सूची **अनुबंध–1** पर संलग्न है।

सभी 11 एनआरएल को वर्ष 2019–20 की पहली किस्त के रूप में ₹ 10 लाख (25 लाख का 40%) और दोनों एएनआरएल में से प्रत्येक को ₹ 4 लाख अगस्त, 2019 में जारी कर दिए गए हैं। एक एनआरएल अर्थात् ईआईए, कोची को जीएमओ विनियम न होने के कारण कोई राशि जारी नहीं की गई है।

2.6 खाद्य विश्लेषक परीक्षा

छठी खाद्य विश्लेषक परीक्षा और तीसरी कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षाः

छठी खाद्य विश्लेषक परीक्षा की थ्योरी परीक्षा तथा तीसरी कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा (जेएई), 2019 दिनांक 14 जुलाई, 2019 को ली गई। कुल 85 उम्मीदवारों को कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में और 70 अन्य उम्मीदवारों को छठी एफएई के पेपर–2 (प्रायोगिक परीक्षा) के लिए योग्य घोषित किया गया है। प्रयोगिक परीक्षा तीन केंद्रों अर्थात् सी. एफ.टी.आर.आई मैसूर, निफ्टेम कुंडली तथा आईसीटी, मुंबई में दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2019 को ली गई।

2.7 खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम के सशक्तीकरण पर अपडेट

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कियान्वयन की अवधि में बढ़ौतरी

केंद्रीय क्षेत्र की योजना की मार्च, 2020 तक एक वर्ष की अवधि तक बढ़ौतरी के पुनरीक्षित प्रस्ताव पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जून, 2019 में सूचित किया कि व्यय विभाग ने सीएसएस के विस्तार के लिए योजना का तृतीय पक्ष से आकलन मांगा है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 11.10.2019 के आदेश द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्था (एनआईएचएफडब्ल्यू), **नई दिल्ली** को सीएसएस के तृतीय पक्ष का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है।

2.7.1 राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना/सशक्तीकरण हेतु विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को ₹ 41.89 करोड़ का अनुदान स्वीकृत/जारी किया गया है। इससे उन्नयन के लिए स्वीकृत/जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 220.30 करोड़ से बढ़कर ₹ 262.19 करोड़ हो गया है, जिसके तहत 29 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की 37 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुदान जारी किया गया।

2.7.2 चल खाद्य सुरक्षा (एफएसडब्ल्यू)

8 अन्य एफएसडब्ल्यू स्वीकृत/वितरित की गई हैं, जिससे 32 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को स्वीकृत/वितरित एफएसडब्ल्यू की कुल संख्या 46 से बढ़कर 54 हो गई है।

2.7.3 क्षमता–निर्माण कार्यक्रम

एफ.एस.एस.ए.आई ने मई, 2019 से सितंबर, 2019 के मध्य राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं और अन्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के खाद्य विश्लेषकों तथा अन्य वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं/एजेंसियों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में विशेषीकृत क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए अर्थात् अच्छी प्रयोगशाला रीतियाँ (जी.एफ.एल.पी) पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के विवरण **अनुबंध–2** पर संलग्न हैं।

3. खाद्य सुरक्षा अनुपालन

3.1 **खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण)** विनियम, 2011 का पुनरीक्षण

लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली के क्रियान्वयन के पिछले 8 वर्षों के दौरान विनियमों और आईटी प्लेटफॉर्म में कई कमियाँ देखने में आईं। एफ.एस.एस.ए.आई को समय–समय पर विनियमात्मक स्टॉफ के साथ–साथ खाद्य कारोबारों से विनियमों के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यात्मक मुद्दों पर सम्मतियाँ प्राप्त होती रही हैं।

इन फीडबैकों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसे और अधिक सरल तथा संगत बनाया जा सके और उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें स्थायी लाइसेंस और पंजीकरण, कागजात में कमी, विभिन्न प्रकार के कारोबारों का वर्गीकरण, नए उदीयमान मॉडलों, यथा सीधे विक्रेता इत्यादि के लिए विशेष उपबंध शामिल होंगे।

3.2 मानकीकृत खाद्य उत्पादों को अनुज्ञापन और पंजीकरण

लाइसेंस/पंजीकरण के लिए एफ.एस.एस.ए.आई का ऑनलाइन खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस) है। वर्तमान में एफ.एस.एस.ए.आई की लाइसेंसिग/पंजीकरण में उत्पादक/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उत्पादित अथवा प्रसंस्कृत किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की खाद्य उत्पाद श्रेणियों के विभिन्न स्तर शामिल होते हैं, जो लाइसेंस/पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर होते हैं। अब एफ.एल.आर.एस में उत्पादक के खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के तहत केवल मानकीकृत खाद्य उत्पादों का वर्णन होगा।

3.3 रुको (पुनर्प्रयोजन पकवान तेल)

खाद्य की तलाई के लिए प्रयुक्त तेलों को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे फ्री रैडिकल उत्पादन और मोनो अनसैच्युरेटिड फैटी एसिडों (एम.यू.एफ.ए) का स्तर बढ़ जाता है, जिससे खाद्य हानिकर हो जाता है। कुकिंग ऑयल का दुबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तलाई के लिए इसका केवल एक बार प्रयोग करना चाहिए। बॉयोडीजल एसोशिएशनों से संपर्क करके उसे पेट्रोलियम उद्योग में प्रयोग के लिए भेज दें। अब तक एफ.एस.एस.ए.आई ने देश में अपनी प्राधिकृत संग्रहण एजेंसियों के माध्यम से यूको इकट्ठा करने के लिए देश में 10 बॉयोडीजल उत्पादकों को एनरोल किया है।

3.4 खाद्य सुरक्षा मित्र

एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य कारोबारियों से विनियमों की अपेक्षाओं का स्व–अनुपालन सुनिश्चित कराने की संस्कृति उत्पन्न की है। इस हेतु प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के लिए लाइसेंस/पंजीकरण ऑनलाइन फाइल करने, उनमें संशोधन करने, वार्षिक विवरणी, अपील आदि अपलोड करने के लिए कई आईटी प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा मित्र(एफ.एस.एम) योजना लागू की है, एफ.एस.एस.ए.आई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का प्रयोग करने लिए डिजिटल मित्र, खाद्य पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक मित्र, तथा रेस्टोरेंटों और प्रतिष्ठानों के स्वच्छता ऑडिट के लिए स्वच्छता मित्र शामिल हैं। यह खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा कारोबार करना सरल बनाने के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। एफ.एस.एम को एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। पात्रता, प्रशिक्षण सामग्री, आचरण संहिता, शुल्क इत्यादि के बारे में संपूर्ण विवरण https:/fssai.gov.in/foodsafetymitra/ पर उपलब्ध हैं।

3.5 साफ और सुरक्षित मांस की दुकान

''साफ और सुरक्षित मांस की दुकान'' पहल का प्रयोजन ताजा मांस/मछली के प्रसंस्करण और बिक्री में सुरक्षा और स्वच्छता अवस्थाओं में सुधार करना है। इस पहल के तहत एफ.एस.एस.ए.आई ने आधारभूत खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर मानदंड

स्थापित किए हैं, जिनका भागीदार मांस की दुकान द्वारा मान्यता प्राप्त करने और रेटिंग कराने के लिए सुनिश्चित किया जाना होता है। मांस की दुकानों की स्वच्छता रेटिंग खाद्य सुरक्षा विभागों अथवा एफ.एस.एस.ए.आई के पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा गैप ऑडिट किए जाने के बाद की जाएगी। यह एक स्वैच्छिक योजना है। इससे मांस की दुकानों और मांस उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को सही पसंद करने में सहायता मिलेगी। तदनुसार, इससे बेहतर रेटिंग लेने के लिए मांस की दुकानों में प्रतिस्पर्द्धा की संस्कृति भी उभरेगी।

3.6 साफ और सुरक्षित मिठाइयों (हलवाई) की दुकान

''साफ और सुरक्षित हलवाई/मिठाई की दुकान'' पहल का प्रयोजन हलवाई/मिठाई की दुकानों में मिठाइयों के उम्पादन/प्रसंस्करण और बिक्री की स्वच्छता अवस्थाओं में सुधार लाना है। इस पहल के तहत, एफ.एस.एस.ए.आई ने आधारभूत खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर मानदंड स्थापित किए हैं, जिनका भागीदार हलवाई/मिठाई की दुकान द्वारा मान्यता प्राप्त करने और रेटिंग कराने के लिए सुनिश्चित किया जाना होता है। हलवाई/मिठाई की दुकानों को खाद्य सुरक्षा विभागों अथवा एफ.एस.एस.ए.आई के पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा गैप ऑडिट किए जाने के बाद स्वच्छता रेटिंग दी जाएगी। यह एक स्वैच्छिक योजना है। इससे मिठाई, नमकीन, बेकरी उत्पादों, सेवरी इत्यादि की दुकानों के बारे में उपभोक्ताओं को सही पसंद करने में सहायता मिलेगी।

4. वैश्विक संपर्क

4.1 भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने खाद्य प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद आयोजित कोडेक्स समिति की 5 बैठकों में भाग लिया। खाद्य प्राधिकरण, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। कोडेक्स की इन बैठकों में हमारी लिखित टिप्पणियों तथा समिति के सत्रों के दौरान दखलों के आधार पर भारत के मुद्दे व्यापक रूप से उठाए गए।

4.1.1 भारत द्वारा कोडेक्स समितियों में किए गए प्रस्तावों की स्थिति

कोडेक्स खाद्य लेबलिंग समिति ने ''खाद्य के गैर–खुदरा धारकों की लेबलिंग के मसौदा दिशा–निर्देश'' भेजे हैं और उन्हें कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के आगामी सत्र (सीएसी42, 2019) में चरण 5 पर अंगीकरण के लिए भेजा है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सीएसी42 ने प्रलेख का अंगीकरण कर लिया है। इस बैठक के मुद्दों का संकलन और समाधान करने के लिए भारत ने इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी समूह के साथ–साथ भौतिक कार्यकारी समूह की बैठक की अध्यक्षता की।

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन (सीएसी) ने चरण 8 पर सूखे अथवा निर्जल लहसुन के मसौदा मानक का अंगीकरण किया।

कोडेक्स ताजा फल और सब्जी समिति ने ''खाने के आलू के प्रस्तावित मसौदा मानक'' का अनुमोदन कर दिया है और उसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के आगामी सत्र (सीएसी43, 2020) के चरण 8 पर अंगीकरण के लिए भेज दिया है। प्रारंभ में यह प्रस्ताव भारत द्वारा किया गया था और भारत ने इस प्रलेख पर सत्र के दौरान आयोजित कार्यकारी समूह की बैठक की अध्यक्षता की, जो पूर्ण सत्र के पहले दिन हुई।

4.1.2 कोडेक्स कार्यनीति योजना 2020–2025 की स्थिति

सीएसी42 (2019) ने कोडेक्स कार्यकारी समिति की उप–समिति द्वारा बनाई गई कोडेक्स कार्यनीति योजना 2020–2025 का अंगीकरण किया और उसकी CEXEC77(2019) द्वारा अंगीकरण के लिए सिफारिश की। सीसीएशिया के क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में भारत ने कार्यनीति योजना 2020–2025 बनाने वाली उप–समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया और एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रवृत्त किया।

4.2 जून, 2019 में कोडेक्स न्यास निधि 2 के अंतर्गत भारत, भूआन, नेपाल की संयुक्त परियोजना का शुभारंभ

कोडेक्स न्यास निधि का सृजन एफएओ/डब्ल्यूएचओ द्वारा देशों के कोडेक्स कार्य में भागीदारी को बढ़ाने के आशय से किया गया था। कोडेक्स न्यास निधि 2 (सीटीएफ2), जो 2016–2017 की अवधि के लिए होगा, कोडेक्स गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए सशक्त, ठोस और टिकाऊ राष्ट्रीय क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। सीटीएफ2 परियोजना के अंतर्गत कोडेक्स से संबंधित क्षमता–निर्माण के लिए भूटान, नेपाल और भारत के एक संयुक्त आवेदन को सीटीएफ सचिवालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। परियोजना में अलग–अलग और समूह गतिविधियाँ शामिल होंगी, जो तीन वर्षों के लिए होंगी। परियोजना का अग्रणी देश होने के नाते भारत ने निम्नलिखित गतिविधियों से परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ किया:

4.2.1 संयुक्त कोडेक्स न्यास निधि 2 (सीटीएफ2) के लिए प्रारंभी कार्यशाला

भूटान, भारत और नेपाल की त्रिवर्षीय संयुक्त सीटीएफ2 परियोजना की आधिकारिक शुरुआत प्रारंभी कार्यशाला से की गई, जो नई दिल्ली, भारत में दिनांक 21 जून, 2019 को हुई। कार्यशाला में प्रत्येक देश की जिम्मेदारी दर्शाता हुए प्रथम वर्ष की गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया गया।

4.2.2 भूटान और नेपाल के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स ढाँचा बनाने के लिए प्रशिक्षण

कोडेक्स कार्य और भारत में कोडेक्स के कार्यकरण के संबंध में भूटान और नेपाल के कार्मिकों का एक पाँच–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में दिनांक 27 से 31 अगस्त, 2019 तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का ध्येय कोडेक्स के बारे में आधारभूत जानकारी देना तथा कोडेक्स कार्य के प्रबंधन में भारत के अनुभवों की जानकारी देना था। इससे भूटान और नेपाल को अपने यहाँ ज्यादा सशक्त राष्ट्रीय कोडेक्स ढाँचा बनाने में सहायता मिलेगी।

4.2.3 खाद्य सुरक्षा के लिए रासायनिक जोखिम विश्लेषण ढाँचा पर कार्यशाला

एफ.एस.एस.ए.आई ने आईआईटीआर, लखनऊ में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर, 2019 तक ''खाद्य सुरक्षा के लिए रासायनिक जोखिम विश्लेषण ढाँचा'' पर एक चार–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में भारत, नेपाल और भूटान

की विभिन्न प्रमुख सरकारी संस्थाओं के कार्मिकों ने भाग लिया और इसमें भारत, कनाडा, जर्मनी तथा हांगकांग के प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया।

इस कार्यशाला के माध्यम से भारत की विभिन्न प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं/संगठनों से युवा खाद्य पेशेवरों के एक दल को भावी जोखिम आकलनकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिनकी सेवाओं का उपयोग एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा स्वास्थ्य के लिए जोखिम बनने वाले खाद्य में पाए जाने वाले रासायनिक संदूषण पर जोखिम प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में सहायता करने हेतु किया जाएगा।

4.3 कोडेक्स समिति की बैठकों का आयोजन

एशियाई क्षेत्र का मौजूदा क्षेत्रीय समन्वयक होने के नाते भारत ने गोआ, भारत में दिनांक 23 से 27 सितंबर, 2019 तक एफएओ/डब्ल्यूएचो की एशिया समन्वय समिति के 21वें सत्र(सीसीएशिया21) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए :

4.3.1 समिति ने कई संभव दृष्टिकोणों की पहचान की, जिनमें शामिल थे – समग्र खाद्य श्रृंखला नजरिया; छोटी जोत के किसानों का प्रशिक्षण, शिक्षा तथा उनके लिए खाद्य सुरक्षा मानकों और अच्छी रीतियों की सुलभता तथा प्रयोज्यता में सुधार लाना; स्वास्थ्य के प्रति नजरिया; खतरों के पहचान, आकलन और प्रबंधन के लिए डैटा इकट्ठा करना; कोडेक्स मानकों का प्रयोग तथा स्थानीय प्रसंग में इनका अंगीकरण इत्यादि।

4.3.2 पूर्ण सत्र में चर्चा के दौरान कई अन्य उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनमें महत्वपूर्ण तथा उदीयमान मुद्दों की पहचान करना तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए उनका प्राथमिकीकरण करना, खाद्य सुरक्षा में उच्च–स्तरीय राजनीतिक समर्थन तथा निवेश प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना; क्षेत्र में कोडेक्स मानकों के प्रयोग का आकलन करना तथा राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणालियों में सुधार करने के लिए कोडेक्स मानकों से सुमेलन करना; क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए एक प्रणाली (भारत द्वारा तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया) अपनाना; क्षेत्र के लिए उच्च प्राथमिकता वाले कोडेक्स कार्य की पहचान करना; क्षेत्र में कोडेक्स कार्यनीति योजना 2020–2025 के कार्यान्वयन के लिए दो–वर्षीय गतिविधि योजना का विकास करना।

4.3.3 समिति ने पारंपरिक दूध–आधारित मिठाइयों के क्षेत्रीय मानक बनाने के लिए भारत के प्रस्ताव को नोट किया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत समिति के अगले सत्र में संशोधित चर्चा प्रलेख प्रस्तुत कर सकता है।

5. शासन और प्रशासन

5.1.1 कार्यालय और प्रयोगशाला के लिए जगह की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए कार्यालय, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षकों तथा संकाय सदस्यों के लिए संस्थागत आवास बनाने के प्रयास किए गए हैं। एफआरएसएल, गाजियाबाद (अब राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला) में लगभग 7000–8000 वर्गफुट जगह वाली एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) का कार्य सौंपा गया हे।

एनएफएल, गाजियाबाद की छत पर लगभग 800 वर्गमीटर की जगह वाला एक अस्थायी ढाँचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में किराये की इमारत में काम कर रहा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय स्थानांतरित किया जाएगा।

5.1.2 गहन प्रयासों के बाद एफ.एस.एस.ए.आई को जेएनपीटी, मुंबई में दीर्घ पट्टे पर जमीन आबंटित की गई है, जहाँ आयातित खाद्य उतपादों की त्वरित निर्मुक्ति के लिए एकल खिड़की निर्मुक्ति सुविधा और सुविधा–सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित है। इस भवन का निर्माण भी एनबीसीसी की पीएमसी के अंतर्गत कराया जाएगा।

5.1.3 अवसंरचना का उन्नयन करने और अपनी आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा में सुधार करने और विकसित करने की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए एनएफएल, कोलकाता के परिसर का नवीकरण करके सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला बनाई गई है। सर्वसुविधा–सम्पन्न प्रयोगशाला बनाने पर काम किया जा रहा है।

5.1.4 हैदराबाद, बंगलौर, कच्छ/कांडला, विजाग और कृष्णापटनम् सहित विभिन्न स्थानों पर हितधारकों तथा खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के उप–कार्यालय स्थापित करने के प्रयास जारी हैं।

6. प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण

अब तक 17 पाठ्यक्रम (05 आधारभूत, 04 उन्नत तथा 08 विशेष) बनाए गए हैं। कुल 195 प्रशिक्षण सहयोगी पैनलबद्ध किए गए हैं। 1667 प्रशिक्षकों का पूल बनाया गया है। 2,11,000 खाद्यकर्मी (खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक) प्रशिक्षित किए गए हैं। सभी पाठ्यक्रमों कें लिए मैनुअल सामग्री तैयार कर ली गई है। आधारभूत पाठ्यक्रम मैनुअल का 11 मुख्य भाषाओं में अनुवाद कराया गया है। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए कैटरिंग क्षेत्र हेतु दृश्य और श्रृव्य सामग्री तैयार की गई है। संपर्क बढ़ाने के लिए इग्नू, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, फिक्सी आदि विभिन्न एजेंसियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। फोस्टैक के वित्त–पोषण और सहयोग के लिए कॉरपोरेटों को प्रवृत्त किया जा रहा है। एचयूएल, जुबिलैंट फूड्स, निर्मल इंडस्ट्रीज, बीएचईएल इत्यादि कुछ कार्पोरेट वित्त–पोषण और प्रवृत्तन के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं।

अनुबंध–1

एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा मान्यता–प्रदत्त एनआरएल और एएनआरएल

क्रम सं0	प्रयोगशाला / संस्था / संगठन का नाम	पता	विशिष्ट क्षेत्र जिसके लिए एनआरएल / एएनआरएल के रूप में घोषित किया गया
एनआरएल के रूप में सरकारी प्रयोगशालाएँ			
1.	सीएसआईआर–केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	एफएस एंड एक्यूसीएल विभाग, सीएफटीआरआई, मैसूर – 570020	पोषण सूचना और लेबलिंग
2.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी	27 / 1767ए, शिपयार्ड क्वार्टर्ज रोड, पानम्पिल्ली नगर(दक्षिण), कोची, केरल – 682036	जीएम परीक्षण+
3.	पंजाब बॉयोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर	एससीओ 7–8, फेज 5, एसएएस नगर, मोहाली – 160059, पंजाब	शहद सहित मिठाइयाँ और मिष्टान्न
4.	आईसीएआर – राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र	डाकघर मंजिरी फॉर्म, सोलापुर रोड, पुणे – 412307	पेस्टीसाइड अवशिष्ट और कवकविष
5.	आईसीएआर – केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्था	सीआईएफटी जंक्शन, विलिंगडन आईलैंड मत्स्यपुरी पोस्ट ऑफिस, कोची – 682029	मछली और मत्स्य उत्पाद

6.	पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र – राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	आईआरएमए मेन गेट के सामने, आनंदालय स्कूल के निकट, आणंद – 388001	डेयरी ओर डेयरी उत्पाद
7.	सीएसआईआर – भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र	विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ – 226001, उत्तर प्रदेश	न्युट्रास्युटिकल्स, प्रयोजनमूलक खाद्य ओर नूतन/उदीयमान खाद्य/खाद्य संधटकों में विष मूल्यांकन/जोखिम आकलन
			(+जीएमओ विनियमों के क्रियान्वयन के अध्यधीन)
एनआरएल के रूप में निजी प्रयोगशालाएँ			
8.	ट्रॉयलॉजी एनालाइटिकल लैबोरेटरी प्रा0 लि0	प्लॉट सं0 7, सीएफ एरिया, फेज 2, आईडीए चेरलापल्ली, हैदराबाद – 500051	धान्यों और दालों, मसालों और कंडिमेंट्स तथा संबंधित पीटी गतिविधियाँ
9.	एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालाइसिंस सेंटर लि0	सुभाष नगर, बारासात पोस्ट ऑफिस, नीलगंज बाजार, कोलकाता – 700121	पशु औषध अवशिष्ट, प्रतिजैविक और हार्मोन
10.	विमटा लैब्स लिमिटेड	लाइफ साइंसेस कंप्लेक्स, 5, एमएन पार्क, जीनोम वैली, शमीरपेट, हैदराबाद – 500101	जल, एल्कोहलीय और गैर– एल्कोहलीय बीवरेज
11.	फेअर लैब्स प्रा0 लि0	एल–17/3, डीएलएफ, फेज 2, इफ्को चौक, एमजी रोड, गुरुग्राम–12202	तेल और वसाएँ
12.	नियोजेन फूड एंड एनिमल सिक्योरिटी(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	उचिक्कल लेन, पूनीतुरा पोस्ट ऑफिस, कोची– 682038	खाद्य एलर्जेन

एनआरएल की आनुषंगिक सुविधा (एएनआरएल)			
13.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, चेन्नई	6ठी मंजिल, सीएमआईडीए टॉवर–2, 1, गांधी इरविन रोड, एग्मोर, चेन्नई – 600008	सूक्ष्मजैविक परीक्षण में पीटीपी के रूप में सहायी सुविधा

अनुबंध–2

आयोजित क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं0	सहभागी राज्य / संघशासित क्षेत्र	स्थान	प्रशिक्षण की तिथि	उम्मीदवारों की सं0
क. प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिए जागरूकता कार्यक्रम				
क.	महाराष्ट्र, गोआ और गुजरात	इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएशन (आईआरएमआरए), ठाणे, महाराष्ट्र	7 मई, 2019	27
ख.	असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल	प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, कोलकाता, पंश्चिमी बंगाल	22 मई, 2019	25
			कुल क	**52**
ख. विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम				
1. मछली और मत्स्य उत्पादों के सूक्ष्मजैविक जोखिम आकलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'भारत में जोखिम आकलन प्रक्रियाओं' के विकास में सहयोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम				
क	सभी राज्य / संघशासित क्षेत्र	आईसीएआर – केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोची, केरल	27–31 मई, 2019	32
2. गेहूँ के आटे, मैदा और चावल में पौष्टिकीकारकों की विश्लेषण पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम				
क	सभी राज्य / संघशासित क्षेत्र	सीएसआईआर – केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था (सीएफटीआरआइ), मैसूर, कर्नाटक	19–21 जून, 2019	15
3. कवकविष विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम				
क	सभी राज्य / संघशासित क्षेत्र	सीएसआईआर – राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र	27–30 अगस्त,	14

			2019	
4. सूक्ष्मजैविक विश्लेषण की आधारभूत तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम				
क	सभी राज्य/संघशासित क्षेत्र	सीमैट, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला(एनएफएल), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	18–20 सितंबर, 2019	11
ग. सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम – अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियाँ				
क	केरल और पुदुचेरी	भारत काजू निर्यात संवर्धन परिषद् (सीईपीसीआई), कोची, केरल	11–13 जून, 2019	31
ख	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र (नागपुर, सोलापुर और अमरावती)	आईसीएआर – राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएम), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	25–27 जून, 2019	30
ग	गुजरात और महाराष्ट्र	खाद्य और औषध प्रयोगशाला, वडोदरा, गुजरात	16–18 जुलाई, 2019	15
घ	राजस्थान	राष्ट्रीय परीक्षण गृह, जयपुर, राजस्थान	29–31 जुलाई, 2019	29
ङ	महाराष्ट्र और गुजरात	नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सिस्टम(एनसीएमएल), नवी मुंबई, महाराष्ट्र	17–19 सितंबर, 2019	20
च	उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड	सीएसआईआर – भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्था, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	25–27 सितंबर, 2019	18
			योग ग	**143**
			कुल (क+ख+ग)	**267**

000